लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

सातवां सत्र
Seventh Session

Preservation Unit
21-5-97
Fumigated
On 14.12.98
Parliament Library

खंड २९ में अंक ४१ से ५० तक है
Vol. XXIX contains Nos. 41—50

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contain Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

449(Ai)LS—1.

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

४ अप्रैल, १९६४।१५ चैत्र, १८८६(शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ ३२६३, नीचे से पहली और दूसरी पंक्ति, अर्थात्,

"अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगों पर मतदान के लिए रखी गईं तथा अस्वीकृत हुईं"

के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िये :

"अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं":

विषय-सूची

अंक ४२–शनिवार, ४ अप्रैल, १९६४/१५ चैत्र, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ३२४७—५०

*अल्प सूचना प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१७	दिल्ली में अग्निकांड	३२४७—५०

उच्चतम न्यायालय से सूचना . . . ३२५०–५१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . ३२५१–५२

बिहार में कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर संघर्ष

श्री प्र० के० देव . . . ३२५१

श्री दासप्पा . . . ३२५१–५२

सभा का कार्य . . . ३२५२

अनुदानों की मांगें . . . ३२५३—७७

उद्योग मंत्रालय . . . ३२५३—६४

श्री अचल सिंह . . . ३२५३

श्री लीलाधर कटकी . . . ३२५३–५४

श्री भजहरि महतो . . . ३२५४

डा० च० भा० सिंह . . . ३२५४–५५

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख . . . ३२५५–५६

डा० राम मनोहर लोहिया . . . ३२५६–५७

श्री हेडा . . . ३२५७–५८

श्री प्रताप सिंह . . . ३२५८

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . . . ३२५८—६०

श्री मुत्तु गोंडर . . . ३२६०

श्री तुलशीदास जाधव . . . ३२६०–६१

श्री कानूनगो . . . ३२६१—६४

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय— . . . ३२६४—७७

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी . . . ३२६४–६५

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 42—Saturday, April 4, 1964/Chaitra 15, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS . . . 3247-50

*Short Notice Question No.	Subject	Page
17	Fire Accident in Delhi	3247-50

Notice from Supreme Court . . . 3250-51

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance
Clash at Kursela Railway Station in Bihar . . . 3251-52

Shri P. K. Deo . . . 3251

Shri Dasappa . . . 3251-52

Business of the House . . . 3252

Demands for Grants . . . 3253-77

Ministry of Industry . . . 3253-64

Shri Achal Singh . . . 3253

Shri Liladhar Kotoki . . . 3253-54

Shri Bhajahari Mahato . . . 3254

Shri Chandrabhan Singh . . . 3254-55

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh . . . 3255-56

Dr. Ram Manohar Lohia . . . 3256-57

Shri Heda . . . 3257-58

Shri Pratap Singh . . . 3258

Dr. L. M. Singhvi . . . 3258-60

Shri Muthu Gounder . . . 3260

Shri Tulsidas Jadhav . . . 3260-61

Shri Kanungo . . . 3261-64

Ministry of Works, Housing and Rehabilitation . . . 3264-77

Shri Tridib Kumar Chaudhuri . . . 3264-65

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अनुदानों की मांगें—जारी

विषय	पृष्ठ
श्रीमती शशांक मंजरी	३२६६
श्री अ० चं० गुह	३२६६—६८
श्री गो० महन्ती	३२६८
श्री स० मो० बनर्जी	३२६८—७१
श्री उइके	३२७१
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	३२७२
श्री बासप्पा	३२७२—७३
श्री हरि विष्णु कामत	३२७३—७५
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	३२७६—७७
श्री च० का० भट्टाचार्य	३२७७

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

	PAGES
Shrimati Shashank Manjari	3266
Shri A.C. Guha	3266-68
Shri G. Mohanty	3268
Shri S. M. Banerjee	3268-71
Shri Uikey	3271
Shrimati Jyotsna Chanda	3272
Shri Basappa	3272-73
Shri Hari Vishnu Kamath	3273-75
Shri P. R. Chakraverti	3276-77
Shri C. K. Bhattacharyya	3277

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, ४ अप्रैल, १९६४ / १५ चैत्र, १८८६ (शक)

Saturday, April 4, 1964 / Chaitra 15, 1886 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWERS

Fire Accident in Delhi

+

S. N.Q. No. 17.
Shri Bade :
Shri Kachhavaiya :
Shri S.L. Verma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Swell :
Shri Yashpal Singh :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Shinkre :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Vishram Prasad :
Shri Dinen Bhattacharya :
Shri R. Barua :
Shri Nath Pai :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shrimati Renu Chakravartty :
Shri P. C. Borooah :
Shri D. C. Sharma :
Shri Warier :
Shri Daji :
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fire broke out near Safdarjung aerodrome on the 27th March, 1964;

(b) whether the entire market and all the huts of that place were burnt resulting in a loss of over rupees ten lakhs;

(c) whether it is a fact that the fire brigade reached there, very late *i. e.* after one hour ;

(d) whether it is a fact that when the fire brigade reached there, water was not available; and

(e) whether Government propose to give aid to the fire victims ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) Out of a total of 297 stalls and jhuggies 260 stalls and eight jhuggies were destroyed. The total loss is estimated at about Rs. 3·65 lakhs.

(c) and (d) No. The fire is reported to have broken out some time between 8-30 P.M. and 8-45 P.M. The Safdarjang Fire Station got the news at 8-54 P.M. and two fire engines reached the spot at 9 P.M. with supplies of 600 gallons of water each. The jets were immediately directed at the fire. There was no difficulty about water supply as hydrants were available at a distance of about 100 feet.

(e) The Delhi Municipal Corporation has decided to give a cash relief of Rs. 100/- each to the shopkeeper and Rs. 25/- each to the jhuggi dweller. Loans to the extent of 50% of the loss subject to an overall ceiling of Rs. 2,000 in each case will be given by the Delhi Administration to those who have suffered a loss of over Rs. 150/-. The total expenditure on this account is expected to be about Rs. 2 lakhs.

Shri Bade : The fire broke out at 8-40 P.M. and, as has been stated by the hon. Minister, the fire brigade reached there at 9-00 P.M. Is it a fact that due to non availability of water there, it had to be taken from the lawn ?

Shri Hathi : Before 8-45 P.M. or after that ?

Shri Bade : After 8-45 P.M.

Shri Hathi : When the fire engines reached there after 8-45, there was no necessity of taking water from a nearby place.

Shri Bade : Is it a fact that being short of money the Delhi Municipal Corporation has written to the Central Government in this regard? Does the Central Government realise that they deserve more help and does it propose to give them more help?

Shri Hathi : The Chief Commissioner's proposals were received on 31st. They had no money and, therefore, the Central Government sanctioned Rs. 2 lakhs on the very same day.

Shri Kachhavaiya : Is it a fact that this is not the first incident of its kind and in the past also one case of fire took place in which 150 *Jhuggis* had been burnt? Is some mind working behind such frequent cases of fire in which thousands of people sustain loss? It has also been noticed that assurances are given to the people in regard to help but subsequently these are not fulfilled. May I know how long will it take to distribute Rs. 2 lakhs among these people so that they may be able to start their business again?

Shri Hathi : The cause of fire so far ascertained is that it took place due to the bursting of Petromax in one of the shops. So far as distribution

of money is concerned, as I have said, proposals from the Chief Commissioner were received on 31st and the very same day we sanctioned this amount. I hope and also wish that the money should be disbursed to the people concerned as soon as possible.

Shri Bade : The hon. Minister stated that the loss was estimated to be more than Rs. 3 lakhs. Were the petromax, cycle and crockery shops insured and on what basis the loss has been computed?

Shri Hathi : I am not aware whether these shops were insured or not. But the shopkeepers were asked to submit a list of the articles destroyed in fire along with the estimates of losses sustained by them for scrutiny by the Chief Commissioner.

श्री जोकीम आल्वा : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप आपातकाल की घोषणा हो जाने के बाद दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में जो दमकल सेवा है, उसे पूर्णतया सुसज्जित तथा पहिले से अच्छी हो जाना चाहिए था? यदि हां, तो क्या सफदरजंग की दमकल सेवा अब पहिले से अच्छी है अथवा वैसी ही है जैसी कि आपातकाल की घोषणा से पहिले थी?

श्री हाथी : फायर ब्रिगेड को आग की सूचना रात्रि में ८ बजकर ५४ मिनट पर मिली, वह ठीक ९ बजे घटना स्थल पर पहुंच गया और १० बजकर २५ मिनट तक आग बुझा दी गई। दमकल सेवा का यह कार्य प्रदर्शन ही इस बात का प्रमाण है कि यह बहुत अच्छी है।

श्री शिकरे : क्या सरकार ऐसे कोई कदम उठाने की सोच रही है कि इन छोटी छोटी दुकानों को इस तरह से बसाया जाय कि भविष्य में इस प्रकार आसानी से सारे में आग न फैले?

श्री हाथी : इन दुकानों तथा झुग्गियों की छतें घास फूस की थीं। निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय ने पहिले ही सीमेंट के पक्के चबूतरे तैयार करा दिए थे और इन दुकानदारों को लगभग एक सप्ताह के अन्दर ही वहां पर भेज दिया जाना था कि अचानक ही आग लग गई। छत की व्यवस्था भी की जा रही है। यह मंत्रालय समस्या के प्रति जागरूक है।

Shri Achal Singh : Will the hon. Minister be pleased to state whether these shops were insured?

Shri Hathi : I have already answered this question.

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that everything had already been reduced to ashes when the fire brigade reached there? Has the Government taken this fact into consideration that the Petromax lamps, which are liable to burst, are used where there is no electrification. May I know how long it will take to electrify such an important place which is near Safdarjung airport?

Shri Hathi : The question of electrification is a separate one. So far as the question of arrival of the fire brigade is concerned, I have already given the imformation.

Shri S. L. Verma : After how many days other Government officers reached the spot?

श्री हाथी : आग लगने के आध घंटे के अन्दर ही पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात एस० पी० एम० वहां पहुंच गए थे।

श्री बड़े : यह गलत है ।

श्री हाथी : आप चाहें तो इसे गलत कह सकते हैं ।

उच्चतम न्यायालय से सूचना

NOTICE FROM SUPREME COURT

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कल बताया था विभिन्न दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें इस विषय पर भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए थे। इन विचारों को दृष्टि में रखते हुए मेरी राय यह है कि इस सभा को उच्चतम न्यायालय में अपना प्रतिनिधि भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में हुई घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई विशेष परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय को इस मामले का निर्देश करने की आवश्यकता महसूस हुई थी । मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : चूंकि आपने यह निर्णय किया है कि इस मामले की सुनवाई के समय इस सभा की ओर से किसी व्यक्ति को भेजने की आवश्यकता नहीं है अत: यह स्पष्ट है कि इस संवैधानिक मामले के बारे में जो भी फैसला दिया जाएगा वह इस सभा पर भी लागू होगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इन बातों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : जहां तक इस मामले की पूरी सुनवाई का संबंध है क्या यह निर्णय अन्तिम है, क्योंकि हो सकता है कि सुनवाई के समय कुछ घटनायें हो जायें तो क्या ऐसी स्थिति में इस निर्णय में परिवर्तन किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी घटनाओं के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह तो इस समय का निर्णय है और मेरा निवेदन है कि सभा इसे स्वीकार करले।

श्री बड़े (खारगोन) : यदि इस निर्णय पर पहुंचने के कुछ कारण बता दिए जायें तो अच्छा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री त्रिवेदी कुमार चौधरी (बरहामपुर) : ऐसा प्रतीत होता है कि अटॉर्नी जनरल के कहने पर विभिन्न विधान मंडलों को जिनमें लोक सभा भी शामिल है, अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया था। अटॉर्नी जनरल भारत संघ की ओर से उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होंगे। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या वे सरकार तथा सत्तारूढ़ दल का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : यह निर्णय लिए जाने के कारण संक्षेप में सभा को बताए जाने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे मेरे कमरे में मुझ से मिलें तो मैं सारी बात स्पष्ट कर दूंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर संघर्ष

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें :—

"२७ मार्च, १९६४ को बिहार में स्थित कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर एक संघर्ष में कुछ व्यक्तियों का कथित मारा जाना और कई अन्य का घायल होना ।"

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) : २६–३–६४ को मनीपुर रोड़ पर तैनात आंध्र विशेष पुलिस बटालियन के कुछ सिपाही ४ अप आसाम मेल से छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे । जिस डिब्बे में वे यात्रा कर रहे थे उस में हज यात्री तथा अन्य लोग भी बैठे थे । कुछ झगड़ा होने पर एक हज यात्री ने एक छुरा निकाला और एक सिपाही एक महिला तथा उसके बच्चे को छुरा घोंप दिया । उस सिपाही तथा महिला की उसी समय मृत्यु हो गई । इसके पश्चात् डिब्बे में हाथा-पाई शुरू हो गई और इसी बीच गाड़ी कुर्सेला स्टेशन पर पहुंच गई । शोर सुन कर अन्य यात्री भी उस में शामिल हो गये । पूर्निया के पुलिस सुपरिंटेंडेंट तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्थानीय पुलिस की सहायता से स्थिति पर काबू पा लिया ।

यह पता चला है कि उस झड़प में ३ व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई । ११ को गम्भीर चोटें आईं और ५५ को मामूली चोटें आईं । जिन व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई थी उन में से चार की भी इसी बीच मृत्यु हो गई है । आहत व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता दी गई और उन्हें कटिहार अस्पताल ले जाया गया ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२, ३०४, १४८, १४९, ३३६ तथा ३३७ के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है । कुल ५७ व्यक्ति, जिन में ३८ आहत व्यक्ति भी शामिल हैं, गिरफ्तार किये गये हैं । कुछ यात्रियों के पास से ८ छुरे तथा कुछ चाकू बरामद किये गये थे । गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, बिहार द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की सहायता से आवश्यक पूर्वोपाय किये गये हैं ।

श्री प्र० के० देव : पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक तनाव को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार के लिये ऐसा करना उचित नहीं होगा कि समस्त सीमान्त राज्यों में जहां ऐसा खतरा होने का डर है असैनिक अधिकारियों द्वारा सुरक्षात्मक उपाय किये जायें ।

श्री दासप्पा : यह केवल विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने का प्रश्न है और इसका रेलवे से सीधा सम्बन्ध नहीं है । परन्तु मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि अब इन गाड़ियों में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): What was the number of Government servants and others among the dead?

श्री वासप्पा : मेरी जानकारी के अनुसार उन में से दो आंध्र पुलिस के थे ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि ६ अप्रैल, १९६४ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(१) निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान ।

(२) निम्नलिखित मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान—

(एक) सामुदायिक विकास तथा सहकार ;

(दो) इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग ;

(तीन) वैदेशिक-कार्य ;

(चार) गृह-कार्य ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा निवेदन है कि अगले शनिवार को माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करें कि वर्तमान सत्र कब समाप्त होगा ताकि हम अपना अगला कार्यक्रम उसके अनुसार तैयार कर सकें । यह भी बताया जाये कि इस सत्र में कौन कौन से विधेयक लाये जायेंगे ताकि हम उन के लिये अपने को तैयार कर सकें ।

लगभग तीन सप्ताह पहले, जब दोनों सभाओं के खर्चे का प्रश्न उठाया गया था आपने कहा था कि सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने के पश्चात् जो भी संभव होगा किया जायेगा । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन पर अभी भी विचार किया जा रहा है या वह समाप्त हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है । लोक-सभा तथा राज्य-सभा सचिवालय की मांगों पर इस सभा में चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि उनका उत्तर देने के लिये यहां कोई भी नहीं है । "हिन्दुस्तान टाइम्स" में यह सुझाव दिया गया था कि लोक-सभा का प्रशासन संसद्-कार्य मंत्री को सौंपा जा सकता है । यह सम्भव नहीं है और ऐसा सुझाव नहीं दिया जाना चाहिये । यह निर्णय किया गया है कि तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये। जहां तक सम्भव होगा लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के सभापति उसके सदस्य होंगे । यह समिति लोक-सभा के लेखे की जांच करेगी और फिर मैं उन्हें प्रमाणित करूंगा । इसके बाद और कोई जांच नहीं होनी चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : इस समय मैं यही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है मैं उसे देने की कोशिश करूंगा ।

अनुदानों की मांगें--जारी

उद्योग मंत्रालय—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

Shri Achal Singh (Agra) : The Public Sector industries are not making enough profits as compared to industries in the private sector because of heavy overhead charges. The same is the case with Small Scale Industries Corporation, which supplies goods to foreign countries. I would draw the attention of the hon. Minister to the foot-wear industry. The small manufacturers used to supply shoes to foreign countries. But now groups are being formed which will take work from these people thereby. depriving them of their legitimate share. I would urge that the small manufacturers of shoes should be given encouragement and this group system should not be encouraged.

It is a welcome step that the rebate on Khadi has been replaced by free of cost weaving. We have to see how far does this experiment succeed. This step will result in great relief to the villagers because they will be able to get cloth at cheap rates.

Licenses for the import of raw materials should be given after proper enquiry so that the licensed parties do not misuse the raw materials and sell them in the blackmarket.

The cost of watches manufactured indigenously should be brought down to check smuggling of watches. Their quality should also be improved.

It is gratifying to note that our industries have made good progress and production has increased considerably.

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव): मैं इस मंत्रालय के पुनर्गठन का स्वागत करता हूं क्योंकि अब यह मंत्रालय औद्योगिक नीति संकल्प की कार्यान्विति पर अधिक ध्यान दे सकेगा। तीसरी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में आशाजनक प्रगति नहीं हुई है।

पूर्वोत्तर प्रदेश सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन गया है । इस प्रदेश का अभी तक संतोषजनक विकास नहीं हुआ है । इस क्षेत्र में छोटे उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । नवगांव में अभी हाल में छोटे उद्योगों पर एक गोष्ठी हुई थी। उस क्षेत्र के उद्योगपतियों की काफी शिकायतें हैं । उन्हें कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता है जिस से कारखाने वर्ष में अधिकतर बन्द पड़े रहते हैं। वहां पर कोई वाणिज्यिक बैंक नहीं है और इस कारण ऋण प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। इन सब मामलों की जांच की जानी चाहिये। ८ मार्च को देहातों में बिजली लगाने के बारे में एक विचार गोष्ठी (सेमिनार) हुई थी। इस में कृषि के लिये बिजली उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार किया गया था । मैंने वहां पर यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक ब्लाक में एक औद्योगिक बस्ती कायम की जानी चाहिये और अधिकांश बिजली कृषि उद्योग या स्थानीय उद्योग के विकास के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिये। और कृषि के लिये जो बिजली दी जाये उसके दाम कम किये जाने चाहिये। उद्योग, सहकार तथा खाद्य और कृषि मंत्रालयों को मिलकर इस बारे में एक योजना बनानी चाहिये। प्रथम प्राथमिकता कृषि उद्योग को दी जानी चाहिये । उसके बाद वन उद्योग तथा अन्य ग्राम उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये। इस से हम ग्रामीण जनता की उद्योगों में रूचि पैदा कर सकेंगे। जिसका इस समय बहुत अभाव है।

[श्री लीलाधर कटकी]

सरकार की नीति सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की है । आसाम राज्य में एक सहकारी चीनी मिल खोला गया है और वह चालू होने वाला है । एक अन्य सहकारी जूट मिल की स्थापना के बारे में जो दर्ज किया जा चुका है, अभी तक पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है । मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये।

पूर्वोत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योग अधिक संख्या में चालू किये जाने चाहियें । आसाम राज्य द्वारा मांगी गई १६. ५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकार की जानी चाहिये। ताकि तीसरी योजना के शेष दो वर्षों में वहां पर बिजली का उत्पादन किया जा सके। क्योंकि वह राज्य निर्धारित राशि पहले ही खर्च कर चुका है ।

Shri Bhajahari Mahato (Purulia) : I want to draw the attention of the minister to the problems of small and cottage industries. Purulia is a backward district in West Bengal, where raw material like cotton, China clay, pig iron, wood etc. are available, which can feed many small industries there giving employment to many people. Big buildings are under construction in cities, but people in villages are hungry. There is shortage of irrigation facilities resulting in shortage of production. Oil and soap industries require small capital for developing themselves. Why these industries are still under the control of foreigners I Lever Brothers etc. have controlling the industry, because the Govt. has a tenient and sympathetic attitude for them, a policy of indifference for our indigenous industries. That way the govt. has ignored the teachings of Gandhiji.

Chinese philosophy has also attacked on us. How shall we fight against it where by starting big mills, or by encouraging development of small industries, which provide freedom & employment to millions of people? The latter cause in useful for our country.

The country cannot be benefited by big schemes formulated with the huge loans obtained from other conntries.

The lac industry is being ruined, where thousands of people worked. For that electricity is required in small areas for the development of small industries.

The Govt. should pay and more attention towards the development of small & Cottage industries which can survive during war also.

डा० च० भा० सिंह (बिलासपुर) : यहां धन, मशीनों, उपकरण आदि की चर्चा करते समय हम मनुष्य को भूल गये हैं, जिस के कल्याण के लिये हम यहां एकत्र हो कर बैठे हैं। यहां मध्यम, बड़े और सहकारी सभी क्षेत्रों की चर्चा की गई, परन्तु ग्रामीणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हमें ८२ प्रतिशत जनता के लिये भी सोचना चाहिये जो गांवों में रहती है।

अभी तक गांव की परिभाषा नहीं की गई। इस की परिभाषा मंत्री को बतानी चाहिये। उस के बिना हम केवल आकाश में बातें कर रहे हैं, भूमि पर नहीं। हमें कोई आधार तो बनाना चाहिये। फिर चाहे ४००० लोगों का एक एकक भले ही बनाया जाये।

शिक्षा उपयोगपूर्ण होनी चाहिये और श्रम को सम्मान का स्थान मिलना चाहिये । दुख यह है कि सफ़ेद पोशी का बोल बाला सर्वत्र प्रशासन में दिखाई देता है। स्कूल में लाभदायक धन्धे सिखाये जायें प्रचार कागज में न होकर वास्तविक ग्रामीण तक पहुंचना चाहिये । गांवों

में शान्ति तथा व्यवस्था न होने के कारण सभ्य लोग वहां रहना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति होने पर हमारी अर्थ व्यवस्था का विकास कैसे संभव है।

हमें तकनीकी सुविधायें बढ़ानी चाहियें। बिलासपुर डिवीजन में इंजीनियरिंग कालेज नहीं, जहां की जनसंख्या २१ लाख है वहां कोई पोलिटेक्निक या लघु उद्योग नहीं है।

पहले तो मंत्री जी गांव की परिभाषा दें, और तब वहां उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था करें और तकनीकी सुविधायें दें और उद्योगों को बढ़ावा दें। ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं के बारे में आत्म-निर्भर होने चाहियें जो भोजन, कपड़ा, सब्जियां आदि हैं। महात्मा गांधी का यही ध्येय था, परन्तु उस को पूरा नहीं किया गया। गांवों में बड़े, छोटे और मध्यम तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना की ओर ध्यान देने की जरूरत है। तभी स्वतंत्रता का प्रभाव गांवों में दिखाई दे सकेगा।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (वामनी): उद्योगों के प्रति मा० मंत्री की विशेष कृपा है और उन से बड़ी आशाएं की जा सकती हैं। उन्होंने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया है। परन्तु वह विकास समान रूप से प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिये। मंत्री जी को स्वयं इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि क्षेत्रीय विकास में असंतुलन न होने पाये।

एक तिहाई कपड़ा बिजली चालित करघों से प्राप्त होता है। बिजली चालित करघा उद्योग उत्पन्न आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से काम करने वाला उद्योग है। होड़ की भावना या ईर्ष्या के कारण मिल इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि बिजली चालित करघा उद्योग समाप्त हो जाये। मिलों का यह प्रयत्न है कि वे स्वयं अपने करघों द्वारा सूत बना कर अपने ही अभिकर्ताओं के द्वारा अपने कपड़ों को बेचें। यह कितनी गलत बात है। इस कारण होने वाला उत्पादन शुल्क उन को लाभ के रूप में मिल जाता है। इस बात को मंत्री जी को समझना चाहिये और समुचित कार्रवाई ही करनी चाहिये।

वित्त मंत्री द्वारा करों में राहत की घोषणा का स्वागत है। श्री कामत द्वारा उल्लिखित ग्रामोफोन, बिजली बल्बों के समान बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों का कपड़ा भी साधारण व्यक्ति के काम नहीं आता, जिस पर राहत दी गई है। इस प्रकार कपड़ा मिल उत्पादन शुल्क का अपवंचन करते हैं। इस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

महाराष्ट्र में बिजली चालित करघा उद्योग के विकास की बड़ी गुंजाइश है, और इस के लिये बिजली करघों को आधुनिक बनाने की जरूरत है। फिर वह महाराष्ट्र के साधारण लोगों और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

इन मिले जुले कपड़ा मिलों ने अशोक मेहता समिति के समक्ष यह कहा कि उन की बिजली करघों के कारण हानि होती है और उन्होंने राहत मांगी, जो उन को मिल गई। इस प्रकार मंत्री जी को चाहिये कि उन को जो राहत मिली है, वह समाप्त की जाय।

वित्त मंत्री ने बिजली करघा उद्योग की कठिनाइयों को अनुभव किया है और उन की कठिनाइयों पर विचार करने की प्रतिक्षा की है। मंत्री जी को सुनिश्चित करना चाहिये कि बिजली करघा उद्योग इस प्रकार कपड़ा मिलों के षड्यंत्र के कारण समाप्त न हो जाय।

[श्री शिवाजी राव शं० देशमुख]

मिल अपने पुर्जों को महंगे दामों पर बेचते हैं और पुस्तकों में कम आंकड़े दिखाते हैं, कर अपवंचन के लिये। बिजली करघा उद्योग की जांच का निष्कर्ष निकला कि सभी के पास लाइसेंस हैं। परन्तु १ अप्रैल १९६१ से बाद वालों पर भारतीय दण्डात्मक उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। यह अधिसूचना ठीक नहीं है और इस उद्योग के लिये हानिकारक है। अतः इस को हटा लेना चाहिये और सभी बिजली करघे उत्पादन शुल्क से मुक्त होने चाहियें।

उद्योग मंत्री को यह चाहिये कि वह वित्त मंत्री से कहें कि विद्युत् चालित करघे को तैयार धागा देना कानून द्वारा बन्द कर दिया जाये और उन्हें केवल कच्चा धागा दिया जाय जिस पर बेचते समय शुल्क दे दिया जाता है। इस तरह विद्युत् चालित करघों पर शुल्क हटा दिया जाये।

माननीय मंत्री के अनुसार विद्युत् चालित करघों को मुनाफा नहीं हो रहा तब तो उन पर लगाये गये शुल्क वापस ले लेने चाहियें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The Government has only one policy and that is regarding inudstrialisation but that policy has failed because all other objectives and policies have been based on industrialisation. Other policies have also failed because those cannot work without industrialisation. The controversy regarding the private and public sectors is futile. As a matter of fact emphasis should be laid on saving the major portion of production in both the sectors so that that production is reinvested for the sake of industrialisation, if a ceiling of 1000 rupees is fixed for personal consumption 25,000 million rupees would be saved for reinvestment.

I have not yet received the reply of the minister as to how the managing Agent of British India Corporation has been able to get the company.

The Government has increased the percentage of loan on shares, which has helped the ministers and their friends only.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

Nehru has stated in his book that until and unless the production is increased by 50 or 100 per cent there cannot be any question of distribution. This idea is entirely opposed to the principle of socialism. Unless and until a curb is imposed on high salaries and profiteering capital for investment cannot be obtained.

The maximum number of industries should be nationalised at the earliest. But for the present big undertakings should be nationalised and control should be removed from small undertakings otherwise millions of officials interfere in their working and thus production is adversely affected.

To-day in India the status of Government has been raised where as the other people are second rate citizens. Every year the ministers go to some cold countries to discharge their public duties where as other people are denied the necessary foreign exchange.

In Government offices thousands of grades have been created and officials hanker for higher grades and the facilities. These are just like social castes.

Similarly such castes have been created in private businesses. If there were only 10 to 15 classes that would be better.

First of all the chartered Accountants should be nationalised because they are the cause of most of the dishonest dealings.

The reviewers appointed at the time of liquidation of companies do not finish their job for several years and take away the whole money in the shape of their salaries so much so that nothing is left for the shareholders.

The small industries are unable to get raw material at controlled rates and they have to pay 60 to 80 % higher rates where as the big undertakings have appointed high salaried personnel to keep contacts with the Government and they find no difficulty in getting raw material.

Unless and until orthodox tendencies are removed there cannot be any industrialisation. Forty three and a half crores of people of India are being exploited and the major portion of production is consumed by the rich community. This all goes against the socialism and industrialisation. A general of Indian army who failed in the battle has been provided with a job in a shipping company, which fetches him a salary of rupees 10,000 without income tax. He is a relative of our Prime Minister. How such things can favour socialism.

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : हमारी अर्थ-व्यवस्था में उद्योग का अंशदान बहुत सराहनीय है। यद्यपि गत वर्ष उत्पादन में ९ प्रतिशत वृद्धि हुई है किन्तु अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह सराहनीय है। इस्पात, मिश्रित धातुओं, एलोमीनियम, कच्चे लोहे, तांबे और उर्वरक आदि के बड़े उद्योगों के उत्पादन में कमी रही है किन्तु वह बहुत अधिक नहीं और तीसरी योजना के लक्ष्य के अनुसार लाइसेंस दिये जा चुके हैं।

लाइसेंसों के बारे में यहां कई बार चर्चा की जा चुकी है। काफी संख्या में लाइसेंस जारी किये जाते हैं कि उस की तुलना में बहुत कम उद्योग स्थापित किये जाते हैं। अधिकांशतः लाइसेंस-धारी अपने लाइसेंस बेच देते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही करनी चाहिये और जो लाइसेंसधारी एक वर्ष के अन्दर उद्योग स्थापित न करें उन के लाइसेंस रद्द कर देने चाहियें। केवल औद्योगिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को लाइसेंस देने चाहियें न कि ऐसे लोगों को जो अपने राजनैतिक सम्पर्क से लाभ उठाना चाहते हैं।

कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट निर्णय करना चाहिये और विद्युत् चालित करघों, हथकरघों, कपड़ा मिलों, मिश्रित प्रणाली की कपड़ा मिलों और केवल बुनाई करने वाले केन्द्रों का अलग अलग स्थान निर्धारित करना चाहिये। विद्युत् चालित करघों के बड़े कारखानों को कपड़ा मिलों के बराबर कर देना चाहिये। इस वर्ष जो विद्युत् चालित करघों पर ५ नये पैसे का कम उत्पादन शुल्क लगाया गया है वह बहुत अधिक है। इसके लिए उन्हें अधिकतम देना चाहिये उत्पादन शुल्क से बचने के लिये जो बड़े एककों के टुकड़े कर दिये जाते हैं उन से मुनाफा नहीं होता। सरकार कहती है कि वह उन्हें मान्यता नहीं देगी। सरकार को यह देखना चाहिये कि बाजार में कपड़ा मिलों का कपड़ा अधिक मूल्य पर बिकता है जबकि बिजली चालित करघों का कपड़ा इस कारण कम मूल्य पर बिकता है कि थोक व्यापारी जानते हैं बिजली चालित करघे का मालिक अपने पास माल नहीं रख सकता। इस पर विडम्बना यह है कि उसे उतना ही उत्पादन शुल्क देना पड़ता है जितना मिल मालिक को। इस कारण बिजली चालित करघों को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। यदि सरकार इसी नीति को अपनायेगी तो मध्य या निम्न मध्य वर्ग के लोग तबाह हो जायेंगे।

449 (Ai) LSD—2.

[श्री हेडा]

कच्चे माल के संभरण के सम्बन्ध में मुझे निवदन करना है कि अनुसूचित उद्योगों को उन की आवश्यकता के आधार पर कच्चा माल आयात करने के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं किन्तु छोटे उद्योगों की क्षमता का ध्यान न रखते हुए उन्हें तदर्थ विदेशी मुद्रा दी जाती है जिस से उन्हें काफी कच्चा माल बाजार से महंगे मूल्य पर लेना पड़ता है। इस तरह छोटे उद्योगों को हानि उठानी पड़ती है उद्योग की प्रगति में रुकावट पैदा होती है।

ऐसे कई उद्योग हैं जिन की निर्यात क्षमता बहुत है किन्तु उन का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। रसायन उद्योग में १२½ से ७० प्रतिशत कमी उस उद्योग को नष्ट कर देगी। अन्य ऐसे उद्योग हैं जिन में इंजीनियरी उद्योग भी शामिल है। इन के सम्पर्क पड़ोसी देशों के व्यापारियों के साथ घनिष्ट हैं और वे निर्यात व्यापार बढ़ा सकते हैं। किन्तु उन्हें बढ़ावा देने के लिये कच्चा माल और लाइसेंस उदारतापूर्वक देने चाहियें।

उद्योग मंत्रालय का बहुत महत्व है किन्तु इसका आकार और स्वरूप इसके नाम के बराबर नहीं है। सरकार को इस समस्या पर विचार करना चाहिये।

Shri Pratap Singh (Sirmur): Industry plays a great role in the economy of India and the Ministry deserves congratulation for its splendid work in this field.

I wish to draw the attention of the Ministry to some of the shortcomings. Firstly I may submit that the distribution of the quota of raw material is made by the centre without the consideration of requirements of the industries. Some of the private industries of Himachal Pradesh remain idle for the lack of raw material. So the Government should make distribution of the raw material according to the requirements.

No doubt the small scale industries and cottage industries have been much benificial and have provided employment to many, but those cannot prosper unless and until some curbs are imposed on the big factories so that they should not manufacture some specified items such as blankets hosiery and particular types of cloth etc. These items should be reserved for the cottage industries.

As regards production of salt I have to submit that though the mining of salt mines in Mandi has been entrusted Hindustan Salt Ltd. yet the work is not going on properly. In this way we would not be able to gain a position to export salt to other countries.

As regards public undertakings I submit that management in the plains is functioning well but in the industries in difficult terrain the working is defective that is why the Nahan Foundry which has been yielding profits since the year 1875 is now running in loss under the Government official. It was taken up as public undertaking in the year 1952. This year it is estimated to incur a loss of 6 to 7 lakhs of rupees. The can crushers and electric motors manufactured by the Foundry could not be sold and that has resulted in a loss. The real cause is this that the management of the Foundry is defective. So I request that the factory should be entrusted to Himachal Pradesh Government.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : प्रत्येक वर्ष के आधार पर नहीं बल्कि सामूहिक आधार पर देखा जाये तो देश में औद्योगिक विकास की गति तेज नहीं हुई बल्कि उसकी गति अवरुद्ध हुई है।

इसका एक कारण सरकार ने स्वय स्वीकार किया है कि देश में लाइसेंस देने की रीति बहुत जटिल है और उसमें किसी कानून का पालन नहीं किया जाता। प्रतिवेदन में बताया गया है कि लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस तरह के वचन सदा दिये जाते हैं किन्तु उन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता।

हमें बताया गया है कि संतानम समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है किन्तु इसका कोई प्रमाण लक्षित नहीं होता।

अब भी पक्षपात भ्रष्टाचार, परिवार पोषण और नौकरशाही से पैदा होने वाले विलम्ब की शिकायतें मिलती रहती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस की प्रक्रिया में सुधार करने और परिवार पोषण को दूर करने के लिए क्या किया है।

लाइसेंस देने का काम तो अर्द्ध न्यायिक कार्य है किन्तु इस देश में इस कार्यक्षेत्र के लिए किसी सिद्धान्त का पालन नहीं किया जाता।

देश में बहुत से कारखाने बेकार पड़े हैं और उनकी स्थायी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में कभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। सरकार को स्पष्टतः बताना चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में समस्या को हल करने के लिए क्या कर रही है।

मूल्यों और किस्म नियंत्रण के कार्य के सम्बन्ध में भी सरकार सर्वथा असफल रही है। जब तक सरकार मूल्य निर्धारण के लिए प्रभावी उपायों का निर्धारण नहीं करती देश के आर्थिक कार्यों को गति प्रदान नहीं की जा सकती।

उत्पादकता परिषद् को हम ने अनन्त संसाधन दे रखे हैं अतः उस के कार्य संसद् के पर्यवेक्षण के अधीन होने चाहियें। ऐसी बहुत शिकायतें मिली हैं कि वहां पक्षपातपूर्ण कार्य किये जाते हैं।

सरकारी उद्योग क्षेत्र में नेशनल न्यूज़ प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स और हिन्दुस्तान केबल्स की प्रगति आशाप्रद है किन्तु को एक्सियल्ल केबल्स का उत्पादन कम रहा है।

हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड स्थानीय व्यापारियों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को लिखा था किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम मुख्यतः प्रौद्योगिक सलाहकार विभाग के द्वारा काम करता है। सरकार बताये कि क्या इस द्वारा किया गया प्राथमिक कार्य संतोषजनक है। रिपोर्ट में लिखा है कि रांची में भारी इंजीनियरी निगम के स्थान का सर्वेक्षण न करने के कारण सरकार को १ करोड़ रुपये की हानि हुई है। मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि यह विभाग किस प्रकार अधिक कौशलपूर्ण कार्य कर सकता है।

सरकार औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन के मामले में सर्वथा असफल रही है और दरिद्र प्रदेश अधिक दरिद्र बनते जा रहे हैं। मंत्री महोदय बतायें कि वे कैसे प्रादेशिक संतुलन पैदा करने वाले हैं। वे यह भी बतायें कि वे मुख्य उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर

[डा० लक्ष्मीमल सिंघवी]

रहे हैं। एक राज्य के मुख्य मंत्री ने कहा है कि केन्द्र औद्योगिक विकास के प्रति उदासीन है। आशा है मंत्री महोदय इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकेंगे।

श्री मुत्तुगोडर (तिरुपत्तूर) : १५ वर्ष की अवधि में करोड़ों रुपया खर्च कर के औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह पर्याप्त नहीं है। कई वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन होता है परन्तु बहुत सी वस्तुओं के लिए हमें अभी भी आयात पर निर्भर करना पड़ता है। जिन वस्तुओं का देश में निर्माण होता है वह अच्छी किस्म की नहीं होतीं। इस के अतिरिक्त घटिया माल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, जैसे हरीकेन लैंटर्न, बाल बेयरिंग, टाईप राईटर, थर्मोस, आदि वस्तुयें। देश के लोग विदेशी माल को इस कारण तरजीह देते हैं चूंकि देशी माल घटिया दर्जे का होता है।

[**श्री सोनावाने** पीठासीन हुए]
[SHRI SONAVANE in the Chair]

साबूदाना के लिए महाराष्ट्र और बंगाल बहुत बड़े बाजार हैं और इस उद्योग में लाखों लोग काम करते हैं। यदि सरकार इस उद्योग को सहायता दे तो इसे प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य साबूदाना बोर्ड अपने प्रतिनिधि सुदूर-पूर्व देशों में भेजना चाहता था ताकि वहां से टेपियोका की खेती के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त की जाय, परन्तु उन को इसके लिये पर्याप्त सहायता नहीं दी गयी। टेपियोका से स्टार्च बनता है और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी स्टार्च यहां बनाया जाता है। देशी स्टार्च से कपड़ा मिलों की जरूरत भी पूरी हो सकती है, परन्तु कुछ लोग अमरीका से मक्का मंगवा कर स्टार्च बनाते हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस आयात को बन्द करे और साबूदाना तथा स्टार्च उद्योग को उचित प्रोत्साहन दे।

सीमेंट निर्धारित मूल्य पर नहीं मिल पाता। इस में चोरबाजारी काफी होती है और अपमिश्रण भी होता है। एक गरीब आदमी को सीमेंट नहीं दिया जाता जब कि धनी लोग बड़े बड़े भवनों के निर्माण के लिए सैकड़ों थैले सीमेंट के प्राप्त कर लेते हैं। इस समस्या का भी समाधान होना चाहिए।

मद्रास में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग सब से बड़ा उद्योग है। आयव्ययक में जो नये कर धागे पर लगाये गये हैं उन से इस उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यदि यह कर वापस न लिए गये तो हजारों बुनकर बेकार हो जायेंगे।

मद्रास में काफी संख्या में हथकरघा एकक हैं इसलिए वहां पर एक अखिल भारत हथकरघा बोर्ड होना चाहिए। बम्बई में ऐसे बोर्ड की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी कि मद्रास में है चूंकि बम्बई में तो बड़ी बड़ी मिलें हैं।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दक्षिण भारतीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाय।

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : We are committed to the ideal of Socialism, but individual enterprise is being given preference today. We should give more encouragement to cooperatives and thereby effect decentralisation and demonopolization. More and more industries should be set up in rule areas. The Government should see that raw material is made available to the small scale industries.

Large number of powerlooms are found in Maharashtra. The Government should not have imposed fresh levies. The Government is not justified in imposing exciseduty on a powerloom unit of 4 or less than 4 looms. Only poor people are running 4 or less than 4 powerlooms. They will be adversely affected by this fresh imposition. Therefore it should be withdrawn. Otherwise the powerlooms there will be closed down and thousands will be deprived of employment. It is most discouraging that on the one side the Government have enhanced duty and on the other 20 per cent relief has been given to the spinning and weaving mills on fine cloth, 40 per cent relief in the case of medium cloth and upto 67 per cent relief in the course cloth. This is against all canons of socialism.

I also propose that shops and industries should be nationalised as far as possible, like Burma. In a mixed economy like ours, small people and cooperatives have always to suffer. We should change our policy so as to effect decentralisation.

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : माननीय सदस्यों द्वारा दो बातों के बारे में विशेष उत्तेजना व्यक्त की गयी। एक तो शक्तिचालित करघों एवं हथकरघा धागे पर पुनरीक्षित उत्पादन शुल्क लगने पर और दूसरे लाइसेंस देने की प्रक्रिया की पेचीदगियों के बारे में। पहले तो मुझे यह स्पष्ट करना है कि यह संतोष का विषय है कि इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद भी औद्योगिक क्षेत्र में हमारा कार्य-सम्पादन खराब नहीं रहा। हम प्रगति कर रहे हैं भले ही वह प्रगति उतनी गति से न हो सकी हो जितनी गति से हम चाहते थे। इस्पात, कच्चा लोहा, अल्युमीनियम तथा विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी माल का, उत्पादन काफी बढ़ा है। सीमेंट और कागज़ जैसे उद्योगों में उत्पादन काफी नहीं बढ़ा। कागज का उत्पादन अधिक न होने का कारण यह है कि बम्बू की देश में कमी होती जा रही है। इसी प्रकार सीमेंट के साधनों की भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। हम इसके अन्य निक्षेप खोज निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। उपलब्ध साधनों से उत्पादन में वृद्धि करने की कोशिश भी की जा रही है।

माननीय सदस्यों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य एक औद्योगिक समाज का निर्माण है और इस बृहत् काम के लिए काफी समय दरकार है। पिछले दस वर्ष से हम अन्तर्कालीन काल से गुजर रहे हैं। औद्योगिक समाज की स्थापना करते समय हमें घरेलू उद्योगों और कारखानों में उचित संतुलन रखना है। इसमें सन्देह नहीं कि सिद्धान्त की दृष्टि से बड़े-बड़े कारखाने स्थापित करना हितकर रहेगा परन्तु हम अपने देश की परिस्थितियों की अवहेलना करके छोटे उद्योगों को मिटा देना नहीं चाहते। इसीलिए दोनों में सन्तुलन रखा गया है।

जहां तक हथकरघा उद्योग का सम्बन्ध है पिछले वर्ष २०,००० लाख गज़ के उत्पादन से विदित है कि सरकार और योजना आयोग की नीति ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बिना मिला-जुला माल तैयार करने वाली मिलों के हथकरघों और शक्तिचालित करघों के लिए धागा उपलब्ध नहीं हो सकता।

मेरा यह निश्चित विचार है कि शक्तिचालित करघे केवल उन सहकारी संस्थाओं के पास ही होने चाहिएं जिनमें हथकरघा बुनकर होते हैं।

देश में शक्तिचालित करघे क्यों बढ़े, इसका कारण यह था उन पर उत्पादन शुल्क कम था और मिलों को बाहर से कपड़ा तैयार करवा कर बेचने में अधिक लाभ प्राप्त होता था। परन्तु

[श्री कानूनगो]

हम नहीं चाहते कि उत्पादन का एक भाग दूसरे भाग में दखल दे। देश में ८०,००० शक्ति-चालित करघों में से आधे ऐसे हैं जो ४ करघों से काम के एकक हैं। ऐसे भी मामले सामने आये हैं जिनमें २४ करघों के संस्थान को ४ अथवा इससे कम करघों के एककों में बांट दिया गया। यदि उत्पादन शुल्क न लगाया जाय तो कोई भी ४, ४ करघों के एकक बना सकता है। इसलिए इन पर उत्पादन शुल्क लगाना उचित है। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी। परन्तु यदि अशोक मेहता समिति न भी होती तब भी शक्तिचालित करघों पर कर लगाया जाना आवश्यक था। इस उत्पादन शुल्क की दर के बारे में मतभेद हो सकता है परन्तु इस शुल्क के लगाये जाने के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि वित्तीय सुविधाओं के अभाव में छोटे पैमाने के तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग प्रगति नहीं कर सकते। परन्तु हमने वर्ष १९६२ में ७१.४० करोड़ रुपया और वर्ष १९६३ में ८०.८२ करोड़ रुपया सभी प्रकार के उद्योगों को ऋण के रूप में दिया, जो राशि स्पष्टतया कम नहीं है। छोटे पमाने के उद्योग काफी उत्पादन कर रहे हैं। सरकार ने वर्ष १९६०-६१ में छोटे उद्योगों से ६.४८ करोड़ रुपये का माल खरीदा और वर्ष १९६२-६३ में २९.५५ करोड़ रुपये का। इससे प्रतीत होता है कि छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी संगठन के प्रयास सफल रहे हैं।

जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी का सम्बन्ध है, उसके लिए कोई चारा नहीं है चूंकि अलौह धातुएं और अन्य कच्चे माल आयात करने पड़ते हैं जिसके लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं हैं। कच्चे माल के वितरण की व्यवस्था इस प्रकार है कि राज्यों के उद्योग निदेशक राज्य-वार आवश्यकतायें निर्धारित करते हैं। वास्तविक वितरण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। राज्यों के उद्योग निदेशक कुशलतापूर्वक काम निभाते हैं। परन्तु माल के अभाव में भी छोटे पैमाने के उद्योगों का उत्पादन ६४ प्रतिशत तक बढ़ गया है।

डा० सिंघवी ने साम्बर झील क्षेत्र में नमक के वितरण की चर्चा की थी। मैं ने उनके लिखे अनुसार मामले की जांच की है और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि कोई अन्याय नहीं हुआ है। परन्तु मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सट्टेबाजी को प्रोत्साहन नहीं दे सकता।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के बारे में कुछ आरोप लगाये गये। इस परिषद् का मुख्य काम औद्योगिक संस्थानों का काम करना है और मैं इसके कार्य-सम्पादन पर गर्व कर सकता हूं। इस परिषद् के विशेषज्ञों ने भारत एलैक्ट्रोनिक्स में उसी सामान और उन्हीं कर्मचारियों की सहायता से ६० प्रतिशत उत्पादन बढ़ा दिया है। यह एक उदाहरण है। जहां इस परिषद् में कर्मचारियों के चुनाव के सिलसिले में पक्षपात का प्रश्न है, उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वह काफी सन्तोषजनक है। उसमें पक्षपात आदि की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां तक इस परिषद् के संगठन का सम्बन्ध है यह स्थानीय परिषदों के जरिये काम करती है। यदि कोई सदस्य चाहें तो इस परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दें और मैं ब्योरेवार सब कुछ बताऊंगा।

लाइसेंस देने की जो पद्धति है उसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। वास्तव में कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है परन्तु उनसे इतना अधिक लाभ नहीं होता। इसलिए

ऐसे २२ उद्योगों को प्राथमिकता देकर उन से आवेदन मांगे जायेंगे । जहां कहीं लक्ष्य के अनुसार उत्पादन हो जाता है हम उनके आवेदन पत्रों पर विचार नहीं करते । उनको अस्वीकार कर दिया जाता है । स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार उन मूल उद्योगों की सूची तैयार की गयी है जिन का उत्पादन काफी नहीं हुआ और आरम्भिक जांच पड़ताल के पश्चात् उन्ह सीधे आदेश-पत्र जारी कर दिये जाते हैं । परन्तु यह सुविधा केवल उन वस्तुओं के लिये है जो पूर्वता सूची पर हैं । विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमें यह उपाय करने पड़ते हैं । जहां तक श्री चोपड़ा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध है वह निराधार हैं । फिर भी, विवियन बोस जांच आयोग के प्रतिवेदन का श्री चोपड़ा की जांच से कोई सम्बन्ध नहीं है । वित्त मंत्री इस बारे में सभा को सूचना देंगे ।

डा० लोहिया से मैं इस बारे में सहमत हूं कि उत्पादन में वृद्धि करके ही समाजवाद लाना तथा प्रगति करना सम्भव है । मैं उनके द्वारा सुझाये गये साधनों से भी सहमत हूं परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लेखा परीक्षा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ।

मैं श्री हेडा को बताना चाहता हूं कि लाइससों को दूसरे समवायों या साथों को दे देना सम्भव नहीं है चूंकि हमें लोगों को स्वयं कहना पड़ता है कि वह लाइसेंस प्राप्त करें । कारण यह है कि लाइसेंस पहले की तरह लाभदायक नहीं रहे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि जो व्यक्ति ब्रिटिश-इंडिया कारपोरेशन के सभापति हैं उन्हें इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा बरेली के एक अन्य निगम का सभापति भी नियुक्त कर दिया गया है ?

श्री कानूनगो : यह प्रश्न सम्बद्ध मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : १-४-६१ के पश्चात् ४ से अधिक शक्ति चालित करघों के एककों को लाइसेंस देने के बारे में रोक लगा दी गयी थी तो फिर मंत्रालय ने यह आग्रह क्यों किया उस तिथि के पश्चात् जारी किये गये लाइसेंसों पर कर लगेगा ?

श्री कानूनगो : सभी वैध शक्तिचालित करघों का पंजीयन काफी समय पहले हो चुका है । उस विशेष तिथि के पश्चात् हस्तांतरित किसी एकक का उद्देश्य बुरा हो सकता है ।

श्री हेडा : एककों का हस्तांतरण इसलिए भी तो हो सकता है कि बड़े बड़े शक्तिचालित करघे अलाभदायक हो जाते हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

श्री कानूनगो : माननीय सदस्य मुझे सुझाव दें फिर मैं उनको तर्क दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motions ever put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगों पर मतदान के लिए रखी गयीं तथा अस्वीकृत हुईं ।

The following Demands in respect of Ministry of Industry were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
५७	उद्योग मंत्रालय	३४,३५,०००
५८	उद्योग	१६,६७,६०,०००
५६	नमक	५१,३५,०००
६०	उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२८,५२,०००
१२६	उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	२,८६,२६,०००

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय

वर्ष १९६४-६५ के लिए निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६०	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय	४२,७५,०००
६१	सरकारी निर्माण-कार्य	३०,६८,५३,०००
६२	लेखन सामग्री और छपाई	१०,५८,४७,०००
६३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	७,७४,८५,०००
६४	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	८३,०४,०००
१४१	सरकारी निर्माण-कार्य पर पूंजी परिव्यय	८,६६,४६,०००
१४२	दिल्ली पूंजी परिव्यय	२२,६३,३२,०००
१४३	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	७,६०,१२,०००

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमान्, इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं मुख्यतः पुनर्वास के विषय को लूंगा । दिल्ली जैसे बड़े बड़े नगरों में भव्य भवन बनाये जा रहे हैं । यह सारा पैसा न केवल शरणार्थियों बल्कि अन्य दरिद्र लोगों को बसाने के लिए खर्च करना चाहिये । ॰

प्रतिवेदन में शरणार्थियों की समस्या को दो भागों में अर्थात् पुराने शरणार्थियों और इस समय पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों के मामले में बांट दी गई है । १९५६ के करार के अनु-

सार केवल यतीम बच्चे, विधवाएं और निस्सहाय महिलाएं, भारत में अपने पतियों के पास आने वाली महिलाएं, भारत में विवाह के लिए आने वाली लड़कियां और अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले परिवार ही प्रव्रजन पत्र प्राप्त कर भारत आ सकती थीं। फिर १९५७ के दार्जिलिंग सम्मेलन के परिणामस्वरूप १९५८ में नये विनियम जारी किये गये। १९५६ में पाकिस्तान ने वचन दिया था कि अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा की जायगी किन्तु गत वर्ष वहां खुलना, जैसोर और गोपालगंज में घोर उपद्रव हुए और अल्पसंख्यकों को अनेक विपत्तियों का शिकार होना पड़ा। प्रव्रजकों पर प्रतिबंध होने पर भी न वहां उपद्रव रुके और न ही शरणार्थियों का भारत आना ही रुका और अब तो जनवरी, १९६४ से प्रतिदिन ५००० व्यक्ति भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हिम्मत टूट चुकी है और मेरा अनुमान है कि इस वर्ष लगभग २० लाख लोग वहां से आयेंगे भले ही अभी तक उन्हें परिवहन तथा प्रव्रजन पत्र सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है अगले दो तीन मास में बड़े बड़े दलों में लोग आयेंगे।

पाकिस्तान ने एक पक्षीय आधार पर १९६१ में अल्पसंख्यक मंत्रालय को बन्द करके अल्पसंख्यकों को सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर दिया था। अब प्रव्रजन पत्र के सम्बन्ध में उन्हें अत्यधिक कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है। प्रव्रजन पत्र जारी करने के लिए अन्य ४ श्रेणियों के लोग शामिल किये गये हैं। वे हैं हत्याकांडों के शिकार और श्रमिक आदि। किन्तु इन श्रेणियों से भी समस्या हल नहीं होती अतः प्रव्रजन पत्रों की शर्तों को अधिक उदार बनाना चाहिये।

शरणार्थियों को इकट्ठा करने के लिए जो शिविर तैयार किये गये हैं उनकी व्यवस्था सर्वथा असंतोषजनक है। शरणार्थी मालदा, दीनाजपुर, जमशेदपुर आदि की सीमा से भी आ रहे हैं। यदि इन सब ज़िलों में शिविर नहीं बनाये जा सकते तो प्रशासकों को कुछ व्यवस्था करने के लिए आदेश देने चाहियें।

शरणार्थियों को बसाने के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि पश्चिम बंगाल में और शरणार्थी बसाना कठिन है। आप २ लाख लोगों में से केवल ५०,००० को दण्डकारण्य ले जा रहे हैं।

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को मिला कर कुल दो लाख शरणार्थी हैं जिनमें से बंगाल में २५,००० शरणार्थी हैं।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : यही मैं कह रहा हूं कि पश्चिमी बंगाल में आये शरणार्थियों में से वे लोग दण्डकारण्य या माना में गये हैं जो सरकारी सहायता चाहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर जो बोझ पड़ रहा है उससे आप आंखें नहीं मूंद सकते।

श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त ने कुछ योजनायें बनाई हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। प्रसन्नता की बात है कि सभी राज्यों ने इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना है। उड़ीसा की सरकार ने एक औद्योगिक योजना बनाई है जिस पर ३४ लाख रुपया खर्च होगा। पश्चिमी बंगाल में भी औद्योगिक कार्यक्रमों द्वारा और अधिक शरणार्थियों को बसाया जा सकता है। उपयुक्त योजना और सामरिक आधार पर काम करने से इस योजना को हल किया जा सकता है।

Shrimati Shashank Manjri (Palamau) : The tribes living in the forests of Hazaribagh and Palbhau districts are very poor and live under very miserable conditions. Now the forests have been cut and they have not got even the pasture lands. The officers exploit them and molest their women-folk. They are burdened by taxes and deprived of the fruit of freedom. They have not been provided with employment nor with houses. They were given rupees 300 for each family to build them houses. This were quite an inadequate amount.

Loans are given to the land owner and the trader but these poor people are not attended to.

Government is investing money in big plants but she is not doing anything to relieve these poor people of their miseries. The upper state of society is getting richer whereas the poor is becoming poorer.

श्री अ० चं० गुह (बारसार) : निर्माण और आवास विभाग के सम्बन्ध में तो मुझे केवल यह निवेदन करना है कि संभरण विभाग का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । न जाने उसे किन कारणों से अलग कर दिया है। नगरों में बड़े बड़े मकान बनाये जा रहे हैं किन्तु निम्न आय वर्ग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा । मुद्रण तथा लेखन सामग्री नियंत्रक तकनीकी व्यक्ति होना चाहिये क्योंकि यह भी तकनीकी विषय है ।

पुनर्वास के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि उसके तीन भाग किये जा सकते हैं अर्थात् एक तो पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के बकाया मामले, दूसरे पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के बकाया मामले और तीसरे इस समय भारी संख्या में आ रहे विस्थापितों की समस्या । कितने लोग आयेंगे ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता किन्तु यदि उन्हें अवसर दिया गया तो सारे ९० या ९२ लाख अल्पसंख्यक पाकिस्तान से निकल आयेंगे ।

दोनों देशों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है और मैं मंत्री महोदय को सावधान करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने संकेत दे दिया है कि वे अवैध रूप से घुसे पाकिस्तानियों के निष्कासन को रोकने के लिए आयेंगे ।

आज तक पाकिस्तान ने सभी करारों का एकपक्षीय आधार पर उल्लंघन ही किया है । १९४७ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति द्वारा आश्वासन दिया था कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिये जायेंगे किन्तु पाकिस्तान ने तभी उसका घोर उल्लंघन आरम्भ कर दिया था ।१९५० की नेहरू–लियाकत संधि में आश्वासन दिया गया था कि चाहे किसी व्यक्ति का कोई भी धर्म हो उसे जीवन, संस्कृति और सम्पत्ति आदि की सुरक्षा और समान नागरिक अधिकार दिये जायेंगे । भारत के संविधान में इसका उपबंध था किन्तु पाकिस्तान में संविधान सभा को ही समाप्त कर दिया गया और वहां अल्पसंख्यकों को कोई संवैधानिक प्रतिभूति प्राप्त नहीं है। वहां तो अल्पसंख्यक नागरिक नहीं हैं बल्कि जिमी हैं जिसका अभिप्राय है कि वे मुसलमानों के संरक्षण में हैं ।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर मैं गृह मंत्री को चेतावनी देता हूं कि उन्हें पाकिस्तान से कुछ अधिक प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिये किन्तु उन्हें नेहरू–लियाकत संधि की दो बातें स्वीकार करवाने का प्रयत्न करें । एक तो यह कि जो प्रव्रजक भारत आ रहे हों उन्हें मार्ग में डराया धमकाया न जाये और महिलाओं पर आक्रमण न किया जाये । दूसरे उन्हें अपनी

चल सम्पत्ति, जेवर और वयस्क के लिए १५० रुपये तथा अवयस्क के लिए ५० रुपये लाने की अनुमति दी जाये। इसके अलावा दोनों ओर अपहृत महिलाओं को ढूंढने के लिये अभिकरण हों।

शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास के सम्बन्ध में अभी मुख्य समस्या सहायता सम्बंधी संगठन की है। उन्हें इकट्ठा करने की शिविरों में कुछ अनिवार्य त्रुटियां तो है किन्तु व्यवस्था संतोष-जनक है। परन्तु वहां कर्मचारियों की कमी, जगह की कमी है और चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में जो शरणार्थी आ रहे हैं वे १५०० मील लम्बी सारी सीमा पर ही आ रहे हैं अतः वहां अधिक शिविर स्थापित करने चाहियें।

पता लगा है कि खुलना बारीसाल की ओर १५०० प्रव्रजकों को पाकिस्तानियों ने रोक रखा है। उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। उनके घरों पर पाकिस्तानी गुण्डों ने कब्जा कर लिया होगा और अब वे लोग सर्वथा दरिद्र है और बदमाशों की दया पर निर्भर करते हैं।

ये बदमाश जनसाधारण नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान सरकार के कर्मचारी हैं। वे है अन्सार और पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स। अतः सारी सीमा पर शरणार्थियों को लेने के लिये शिविर होते चाहियें ?

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के दिल में दर्द नहीं है क्योंकि केवल ३३ या ४० प्रतिशत शरणार्थी दण्डकारण्य में जाने के लिये तैयार हैं और सरकार उन्हें ही सुविधायें दे रही है। शेष ६० प्रतिशत की स्थिति दयनीय है। सरकार को ऐसा सख्त दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। मंत्री महोदय यह घोषणा करे कि वे इस प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।

भले ही बंगाल में अत्यधिक जनसंख्या है और वहां कृषि के लिए अधिक भूमि नहीं किन्तु औद्योगिक योजनाओं द्वारा कुछ लाख विस्थापित वहां बसाए जा सकते हैं। बंगाल सर्वाधिक औद्योगीकृत राज्य है जहां हर वर्ष लाखों श्रमिक बाहर से आते हैं। अतः कुछ वर्ष के लिए उन उद्योगों में विस्थापितों को बसाया जा सकता है।

यदि दण्डकारण्य भी केवल कृषि योजना रहेगी तो विफल हो जायेगी अतः कुछ उद्योग भी वहां स्थापित करने चाहियें।

कल ही संसार में प्रचार की बात पर चर्चा की गई थी किन्तु राजनयिक सम्बन्धों में नैतिकता का अभाव रहता है। जिसके कारण इंग्लैण्ड और अमरीका पाकिस्तान की हर बात का समर्थन करते हैं और संसार में सिवाय रूस के हमारा कोई मित्र नहीं रहा। अब भी अमरीका और ब्रिटेन के पत्रों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के जो समाचार आते हैं उनमें पाकिस्तान और भारत को बराबर दिखाया जाता है हालांकि हमारे संविधान प्रथाओं और अन्य उपायों द्वारा अल्पसंख्यकों को पूरा संरक्षण दिया गया है। भले ही यहां कुछ उपद्रव हुए किन्तु कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि भारत मे मसलमान हिन्दुओं की तरह ही सुरक्षित हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आये २ या २$^1/_2$ लाख शरणार्थियों में से ३० या ४० हजार ईसाई हैं। जिनके कारण ईसाइयों में चेतना जाग्रित हुई है। अन्यथा पाकिस्तान द्वारा किये गये इन अत्याचारों के लिये मैं इंगलैंड और अमरीका को भी अपराधी ठहराता हूं।

गृह मंत्री के समक्ष महान् समस्या है और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे कठोर नियमों का पालन न करें और जो लोग दण्डकारण्य नहीं जाना चाहते उन्हें भी सहायता दें। इन शरणार्थियों

द्वारा उत्पादित १५० करोड़ रुपये का पटसन निर्यात किया जा रहा है। अतः ये शरणार्थी भी भारत पर बोझ नहीं बनेंगे। इस समस्या को अधिक सुचारु रूप से सुलझाने की आवश्यकता है।

श्री गो० महन्ती (बलासपुर) : मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता लगता है कि इसने बहुत श्रेयस्कर काम किया है।

दण्डकारण्य का बहुत महत्व है। उसमें अनेक गांव बस गये जहां कृषक रहते हैं और उन्हें कृषि के औजार, बीज, बैल दिये गये हैं। बड़ी संख्या में स्कूल खुल गये हैं। मलेरिया उन्मूलन और रोगों की रोकथाम के उपाय किये गये हैं और नलकूप लगा दिये गये हैं।

किन्तु एक खराबी है अर्थात् वहां के आदिवासियों का ध्यान नहीं रखा जाता। आयोग के कथनानुसार आदिवासियों का भूमि से बहुत मोह है और जब तक उन्हें दिये गये वचनों को पूरा नहीं किया जाता उनमें विश्वास पैदा नहीं हो सकता। उनमें घोर असन्तोष फैला हुआ है। मध्य वर्ग के लोग उनका शोषण कर रहे हैं।

उनके बच्चों को बंगाली लिपि पढ़ाई जा रही है। यदि उन्हें देवनागरी पढ़ाई जाती तो वे अपनी भाषा को भी सुगमता से सीख सकते थे।

जो नये विस्थापित लोग आ रहे हैं वे अधिकांशतः श्रमिक हैं। उनका स्वागत करना चाहिये। वे हमारे लोगों के उत्पादन पर निर्भर नहीं करेंगे प्रत्युत स्वयं उत्पादन करेंगे। उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने २५००० शरणार्थियों को लेते हुए कहा था कि जब तक औद्योगिक योजनाएं आरम्भ नहीं की जायेंगी उन्हें बसाया नहीं जा सकेगा। एक पूर्ववक्ता ने बताया है कि वहां उद्योगों के लिये २५ करोड़ रुपया दिया जा रहा है।

हमें पता लगा है कि आई० एन० ए० मार्केट को सरकार के लोगों ने जला दिया है भले ही बस्ती के लोगों को सरकार काफी रुपया दे रही है।

उड़ीसा में झुग्गी-झोंपड़ी वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह समस्या मूल रूप से हल की जानी चाहिये।

पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने देश में प्रेस खोलने के लिये काफी रुपये की मशीनें तथा उपकरण दिये हैं। वह तकनीकी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां भी दे रही है। मेरा निवेदन है कि ये छात्रवृत्तियां स्थानीय लोगों को दी जानी चाहियें और जहां तक सम्भव हो इन कारखानों में स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिये।

पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्ति आदि के दावों के बारे में हुई प्रगति के बारे में हमें अधिक जानकारी दी जानी चाहिये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : For rehabilitating the refugees coming from East Pakistan due to Pakistani oppression, a separate Rehabilitation Ministry should be established, because Government is responsible for the safety of the Minorities left behind in Pakistan at the time of partition. Adequate facilities should be given to the refugees accommodated in camps opened by the State Governments. A delegation of the Members of Lok Sabha should be sent to visit these camps to create more confidence in those people.

We should think afresh so far as the question of rehabilitation of these East Pakistan refugees is concerned.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

MR. SPEAKER *in the chair*

Many States are prepared to rehabilitate these unfortunate people in their States. But the West Bengal Government should also try to absorb some of them in West Bengal itself. That Government should play its part and resettle these persons in various industries. They will feel more at home there. Money from the National Defence Fund should be utilised to rehabilitate these persons, because it has not been utilised for any purpose so far. 50 percent of the National Defence Fund should be earmarked for the rehabilitation of these unfortunate families.

The hon. Minister had assured us that the question relating to write off of loans given to refugees was being considered. I would strongly plead with him that those loans should be written off, because the sum involved in them is not big enough.

Squatters' colonies should be regularised without any delay.

The arrears of wages of work-charged establishment of C.P.W.D. should be paid without delay.

The demands of road inspectors and work-charged establishments in regard to their pay-scales should be placed before the Categorisation Committee set up for this purpose earlier.

Some workers in Government Press, Calcutta are actually doing a skilled job while they are placed in the category of unskilled or semi skilled personnel.

Their case has been entrusted to a Categorisation Committee. Workers' representatives should be allowed to give evidence before the Committee. The work of this Committee should be expedited and a decision arrived at on the basis of the evidence tendered before the Committee.

Quarters for the employees of the Government of India Press, New Delhi in the Minto Road area should be constructed without delay as assurances have been given in this connection on several occasions.

So far as the question of gardening in the M. Ps.' flats is concerned, it has been transferred from the Parliamentary Division to the Directorate of Estates.

It has made matters worse, and there is complete lack of efficiency. The charges are high. Government should look into these matters.

More quarters should be constructed for Government employees because sixty thousand employees are without quarters even now. electricity should be provided in the quarters constructed for 4th class employees.

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
६३	२७	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी नीति	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाय

१	२	३	४	५
६३	२८	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों को बसाने में असफलता	१०० रुपये
६३	२९	श्री दीनेन भट्टाचार्य	दण्डकारण्य में माना कैम्प की दशा	१०० रुपये
६३	३०	श्री दीनेन भट्टाचार्य	"के" साइट प्लाट के शरणार्थियों को प्रिंस, अनवर शाह रोड, टोलीगंज, कलकत्ता पर बसाने में असफलता	१०० रुपये
६३	३१	श्री दीनेन भट्टाचार्य	मुस्लिम घरों में रहने वाले शरणार्थियों को बसाने में असफलता	१०० रुपये
६३	३२	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्वी पाकिस्तान से आये कुछ शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में बसाने की संभावनाओं की खोज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
९०	६३	श्री स० मो० बनर्जी	१ जनवरी, १९६४ से पहले आये शरणार्थियों को बसाने सम्बन्धी अन्य समस्याओं को हल करने में असफलता	१०० रुपये
९०	६४	श्री स० मो० बनर्जी	दण्डकारण्य में नये तथा पुराने शरणार्थियों को बसाने के लिये अपर्याप्त व्यवस्था	१०० रुपये
९०	६५	श्री स० मो० बनर्जी	गारो पहाड़ियों में अपर्याप्त पुनर्वास उपाय	१०० रुपये
९०	६६	श्री स० मो० बनर्जी	स्कुऐटर्स कालोनियों को रैगुलराइज़ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
९०	६७	श्री स० मो० बनर्जी	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मुअवजा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
९०	६८	श्री स० मो० बनर्जी	मुसलमानों तथा हिन्दुओं के घरों में बसे शरणार्थियों को अन्य स्थान दिये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९०	६९	श्री स० मो० बनर्जी	असहाय महिलाओं तथा बच्चों के लिये बने स्थायी कैम्पों की वर्तमान दशा	१०० रुपये
९०	७०	श्री स० मो० बनर्जी	सहकारी गृह निर्माण योजना, सोदपुर, २४-परगना का विकास करने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९०	७१	श्री स० मो० बनर्जी	सरकारी नौकरियों में शरणार्थियों को आयु में छूट देने वाले नियम को जारी रखना	१०० रुपये
९०	७२	श्री स० मो० बनर्जी	१ जनवरी, १९६४ से पूर्व आये शरणार्थियों की दशा सुधारने तथा इस समय आये शरणार्थियों को बसाने के लिये नये प्रस्तावों की आवश्यकता	१०० रुपये
९०	७३	श्री स० मो० बनर्जी	पुनर्वास उद्योग निगम तथा औद्योगिक योजनायें जिन्हें शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये ऋण दिये गये थे ।	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

Shri Uikey (Mandla): I am very happy that the Chief Minister of my State has offered to rehabilitate twenty-five thousand refugees in Madhya Pradesh. By rehabilitating these persons other residuary problems crop up. The tribal people are simple by nature and they are apt to be mislead by various elements. Before rehabilitating these refugees among the tribals, the tribal population should be taken into confidence to avoid any resentment in the local population. This can be brought about by effective propaganda among the tribals.

The schemes, that have been agreed upon by the Government of India and Government of Madhya Pradesh so far as the rehabilitation of the refugees is concerned, should be given top priority, so that more avenues of remployment may be opened for them.

Strict watch should be kept on the activities of the persons employed in the Dandakaranya project to avoid any untoward happenings there They have no respect for the sentiments of the tribals and misuse. their position. Something has got to be done to save the tribal people from the high handedness of these people.

For the Dandakaranya Project a Social anthropologist to act as a high level adviser on tribal welfare has not yet been appointed. He should be appointed immediately so that the incidents of Bastar and Lohandi Gudda are not repeated in future. These incidents were accentuated by the humiliation of the tribals particularly their womenfolk by the Dandakaranya authorities.

In the meeting of the Dandakaranya authorities in August, 1960 it was decided to open an industrial training institute in Jagdalpur. Beladila is going to be an industrial area . To train the local people in technical jobs an institute should be opened there without any delay.

There have been frequent cases of thefts in the M.Ps' flats. This matter should be attended to. Water and other charges should be reduc d.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : इस मंत्रालय के प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि आसाम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में शरणार्थियों के पुनर्वास का काम पूरा हो गया है। अन्य राज्यों के बारे में मुझे कोई निजी जानकारी नहीं है परन्तु जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, कम से कम कचार जिले में यह काम पूरा नहीं हुआ है। नवम्बर, १९५७ में दार्जीलिंग में हुई कांफ्रेंस में किये निर्णय के पश्चात् १९५८ से पुनर्वास सहायता पूर्णतया बन्द कर दी गई। कुछ विस्थापित व्यक्तियों को आई० टी० ए० योजना के अन्तर्गत लाया गया था परन्तु उन में से अधिकांश को कृषि-योग्य भूमि नहीं दी गई है और उनके लिये जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। यह योजना पूर्णतया असफल रही है और उन विस्थापित व्यक्तियों को और कोई सहायता नहीं दी गई। इस योजना की असफलता के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। यदि माननीय मंत्री उस समिति की उपपत्तियों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्थापित क्षय रोगियों तथा उनके परिवारों के लिये वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। परन्तु कचार जिले के क्षय रोगियों को प्रति मास रुपया नहीं दिया जाता है ताकि वे अपना इलाज जारी रख सकें। अतः ऐसे उपाय किये जाने चाहियें जिनसे लाल फीताशाही जैसी कठिनाइयों को दूर किया जा सके और क्षय रोगियों को समय पर रुपया दिया जा सके ताकि वे अपना इलाज जारी रख सकें और उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*

सिलचर में निराश्रित व्यक्ति गृह में रहने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिये वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

जहां तक अभी हाल में पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने का प्रश्न है, सरकार ने कुछ नियमों को उदार बना दिया है। आसाम में कुछ ऐसे छात्र आ रहे हैं जिनके पास प्रव्रजन-पत्र नहीं हैं। उन्हें स्कूलों तथा कालेजों में प्रवेश लेने में कठिनाई होती है। अतः आसाम सरकार को इस बारे में कोई निदेश दिया जाना चाहिये ताकि उनकी परीक्षा लेने के पश्चात् उन्हें स्कूलों में दाखिल किया जा सके अन्यथा वे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जायेंगे।

रिपोर्ट से पता चलता है कि २९ मार्च, १९६४ तक पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, गारो पहाड़ी और आसाम के अन्य जिलों में काफी लोग आ चुके हैं एवं आना अब भी जारी है। विस्थापितों को सीधा मना शिविर ले जाया जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के बागान क्षेत्र से २००० से अधिक मजदूर कछार में आ गये हैं। कुछ अन्य लोग भी वहां आये हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार कछार में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने पर विचार करेगी। वहां पर गन्ना, बांस, नारंगी और अनानास काफी मात्रा में मिलते हैं। सिलचर के फल परिरक्षण कारखाने को बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में मेरा एक सुझाव और है। नागा क्षेत्र में रेलवे लाइन के दोनों ओर के जंगलों को साफ किया जा सकता है जिससे विस्थापितों को रोजगार भी मिल जायेगा और नागाओं के निरन्तर छापों का डर भी जाता रहेगा।

अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को मुआवज़ा देने पर विचार किया जाय।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : समय आ गया है कि माननीय मंत्री संसद सदस्यों द्वारा प्रकट की गयी भावना पर ध्यान दें और इस समस्या को हल करने के लिये कोई ठोस कायवाही करें। फिर, यह भी

आवश्यक है कि संसार का ध्यान इन अत्याचारों की ओर जाय जो पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किये जा रहे हैं एवं जिससे तंग आकर बड़ी संख्या में लोग भारत आये हैं। पाकिस्तान के मित्र पश्चिमी देशों को उसकी चालबाज़ी देखने चाहिए और उसका पक्ष लेने को अपनी नीति बदलनी चाहिए।

भारत-पाक गृह-मंत्री सम्मेलन में सरकार को इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को रोका जाय।

आवास सुविधा में भारी कमी हुई है और इसे पूरा करने के लिये जोरदार प्रयास करना होगा। जहां तक अल्प आय वर्ग की आवास योजना का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं है। यह सन्तोष की बात है कि यहां वहां सहकारी आवास समितियां बन रहीं हैं, लेकिन उनकी सख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। समय आ गया है कि मंत्रालय आवास समस्या पर अधिक ध्यान दे क्योंकि यह लोगों की मूल आवश्यकता है।

लोक लेखा समिति की चौबीसवीं रिपोर्ट में पुनर्वास योजना सम्बन्धी अनेक दोषों का उल्लेख है, जैसे कोटा प्रदेश में ६६० विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की योजना असफल रही है। स्वयं मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि यह एक खराब योजना थी, इसलिये इसे छोड़ दिया गया है। ये सभी दोष दूर किये जाने चाहिएं।

बताया गया है कि दण्डकारण्य में लगभग १०,००० परिवारों को बसाया जायेगा। उन्हें केवल सहायता ही नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए और दण्डकारण्य का काम तेजी से किया जाना चाहिए। उनके पुनर्वास के लिये उन्हें यथासम्भव सभी आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

Shrimati Sahadara Bai Rai (Damoh) : Mr. Deputy Speaker, I would like to request the Hon. Minister, Shri Khanna that Dhamni Fort in Sagar district is laying vacant. It is a big fort and the land is very fertile. In olden times, decay of Dhamni town made Sagar district develop. There is Vila river and Bakrai river. Every year, the fair at Bal Yati. Uro is organised. You can send at least ten thousand refugees there. You should send there at least ten thousand refugees. They can conveniently live there.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय एक ऐसे व्यक्ति के अधीन है जिन्होंने विभाजन से पहले उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में अपने परिश्रम से ख्याति प्राप्त की और बाद में दिल्ली में आकर भी बढ़ते रहे और मंत्री पद तक पहुंच गये। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि उन्हें देश के लाखों, बिना घरबार के और गरीब लोगों से सहानुभूति हो। पिछले वर्ष मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के बीच उन्होंने कहा था कि खाना और कपड़ा की ओर तो ध्यान दिया गया है, लेकिन आवास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। कितनी सच्ची बात कही थी उन्होंने !

संविधान भवन गिरा दिया गया है। वह अब इतिहास की बात बन गयी है। पिछले वर्ष इस सम्बन्ध में जब मैं प्रधान मंत्री जी से मिला था, उन्होंने कहा था कि वहां उसकी यादगार के रूप में एक तख्ती लगा दी जायेगी।

दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, लेकिन वास्तुकलाविदों को निर्माण में सौन्दर्य कला और सुन्दरता का काफी ध्यान रखना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं यह निर्माण कार्य बिना किसी प्रोग्राम के हो रहा है।

[श्री हरिविष्णु कामत]

पिछले वर्ष मैनेजिंग डाइरेक्टर और सम्बन्धित डाइरेक्टरों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और उसका आधार यह था कि क्या मैनेजिंग डाइरेक्टर विदेश यात्रा पर अपनी पत्नी को साथ ले जा सकते हैं या नहीं। इसी कारण उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। मुझे हर्ष है कि इस मामले में सरकार ने दृढ़ कार्रवाई की ।

यह प्रगति की बात है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दो-दो कमरों के मकान बना रहा है। लोदी होस्टल के एक कमरे की रिहाइशों में भी खिड़कियां बनाई जा रही हैं।

दक्षिण जोन में यहां-वहां नयी नयी बस्तियां बन रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन बस्तियों में 'ई', 'एफ' और 'बी' टाइप के क्वार्टरों के रख-रखाव, पानी, नाली पर कितना खर्च किया जाता है। मैं समझता हूं कि इन बस्तियों में 'जी' टाइप के क्वार्टरों के रख-रखाव का, नाली और जल का उचित प्रबन्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री से इन बातों पर किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा जानना चाहता हूं ।

मंत्री महोदय ने गत् वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकार कर्मचारियों को केवल आवास सम्बन्धी सुविधायें दे सकती है। वह आवास व्यवस्था का उत्तरदायित्व नहीं ले सकती है। कल्याणकारी राज्य में, सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था को केवल सुविधा तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए अपितु उनको मकान देना भी सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मकानों की लागत बहुत अधिक होती है। सरकार को प्रयोग के रूप में गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों पक्षों द्वारा एक ही क्षेत्र में बराबर क्षेत्रफल के अलग अलग मकान बनवाने चाहिएं। इस प्रकार हम लागत का सही अनुमान लगा सकते हैं। माननीय मंत्री ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण लागत १५ रुपये से लेकर २० रुपये प्रति वर्ग फीट आती है जब कि मुझे मेरे एक मित्र ने बताया है कि इस समय निर्माण लागत अधिक से अधिक १० रुपये से लेकर १२ रुपये प्रति वर्ग फीट आती है। मंत्री महोदय को वाद-विवाद का उत्तर देते समय निर्माण लागत के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

लोदी हाउस होस्टल पर चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की थी कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और वह इसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु यह दुख की बात है कि इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। सरकार को भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सन्थानम समिति की सारी सिफारिशें मान लेनी चाहिएं ।

मंत्री महोदय लोगों को वचन तो देते हैं किन्तु उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। मुझे पता चला है कि उन्होंने पिछले आम चुनाव में पुराने किले के अन्दर १०–१२ वर्षों से रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को आश्वासन दिया था कि उन्हें वहां से नहीं हटाया जायेगा किन्तु उन्हें बाद में बिना किसी दूसरे स्थान में बसायें वहां से हटाया गया ।

Shri Mehr Chand Khanna : The Hon. Member may criticise the Ministry but he should not cast aspersions on me individually. What he is stating is not correct.

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि अभी हाल में राज्य सभा के लिए हुए चुनाव के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय चुनाव के उम्मीदवार के साथ कांस्टीट्यूशन

हाउस के सर्वेंट क्वार्टरों में गये । वहां लोगों को बताया गया कि इन मकानों को गिराने सम्बन्धी आदेश गलती से जारी किये गये थे ।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
Shri Khadilkar *in the Chair*]

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य मंत्रालय की आलोचना कर सकते हैं तथा उस पर जो चाहें आरोप लगा सकते हैं । किन्तु मुझ पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जो भी वह मेरे बारे में कह रहे हैं ग़लत है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय ने जो भी वायदे किये थे वे व्यक्तिगत रूप से नहीं अपितु मंत्री की हैसियत से किए थे । अतः उन्हें अपने वायदे पूरे करने ही चाहिएं । दिये गये वचन के अनुसार पुराने किले से हटाये गये विस्थापित लोगों को कहीं और बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

यह सराहनीय बात नहीं है कि राज्य सरकारों को ग्रामीण आवास व्यवस्था के लिए दी गयी राशि का राज्य सरकारों द्वारा अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है । इस अनियमितता को रोका जाना चाहिए । ग्रामीण आवास सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी ५,००,००० गांवों में आवास समस्या हल हो सके । इस कार्य को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय आवास निगम तथा बहुत बड़ी संख्या में सहकारी निर्माण समितियों की स्थापना की जाये जो उन ठेकेदारों का कार्य करे जो न तो ईमानदार हैं और न ही कार्य कुशल ।

संसद् के लिए एक पृथक मुद्रणालय स्थापित करने सम्बन्धी मामला भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मावलंकर के कार्यकाल से चला आ रहा है । इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि संसद के लिए एक मुद्रणालय शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए ।

पूर्वी पाकिस्तान में हुए अमानवीय अत्याचारों के परिणामस्वरूप लाखों लोग भारत आ रहे हैं । इन लोगों के साथ नौकरशाही बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए । उनका सहानुभूति तथा आत्मीयता से स्वागत किया जाना चाहिए । इन विस्थापितों ने पूर्वी पाकिस्तान में नरक जैसी यातनायें सही हैं । पाकिस्तान के एक पत्रकार के अनुसार दंगों के दिनों में १२ जनवरी से २५ जनवरी, १९६४ के दौरान पाकिस्तान के इतिहास में एक लज्जाजनक अध्याय लिखा गया जो आने वाले सैंकड़ों वर्षों तक नहीं मिट सकता है । पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को शीघ्र दण्डकारण्य भेजा जा रहा है जिससे वे समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को यह न बता सकें कि उन्होंने क्या क्या दुख व अपमान सहे हैं । सरकार को इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि यह भावनाओं की तथा मानवीय समस्या है और इसका हल सहानुभूतिपूर्ण मनोवैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिये ।

सरकार को इस समस्या का सम्बन्ध म ावश्व का बताना चाहिय आर सभा देशों से जो इस समस्या को हल करने के लिए सहायता देना चाहते हैं सहायता के लिए अपील करनी चाहिए ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत ४,३५,००० मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । किन्तु अब तक केवल १,२५,००० मकानों के निर्माण को ही मंजूरी दी गई है । इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारें मकान निर्माण के लिए आवंटित राशि का प्रयोग दूसरे प्रयोजनों के लिए कर रही हैं। राज्यों को इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वे आवास के लिए दिया गया धन अन्य दूसरे प्रयोजनों पर खर्च करें ।

ग्रामीण आवास परियोजनाओं के लिए अब तक केवल ५ करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं और इस राशि में से ४ करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए जा चुके हैं। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे बेघर लोगों को आवास सम्बन्धी सुविधायें दी जा सकें।

देश के विभाजन के परिणामस्वरूप हमारे लिए पुनर्वास की समस्या वर्ष १९४७ से बनी हुई है। यद्यपि विभाजन के समय तथा विभाजन के बाद दोनों देशों की सरकारों के बीच इस बात का समझौता हुआ कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा की जायेगी और उनके प्रति किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं किया जायेगा तथा वर्ष १९५० में नेहरू-लियाकत समझौता भी इसी आधार पर हुआ कि दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे चाहे वह किसी धर्म को मानने वाला हो, किन्तु पाकिस्तान सरकार किसी भी समझौते का पालन नहीं कर रही है जब कि भारत सरकार इन समझौतों के अनुसार कार्य कर रही है।

यह सराहनीय बात है कि पिछले दिन बिना विभाग के मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी संकल्प को कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया। आज पुनर्वास की समस्या हमारे सामने राष्ट्रीय समस्या के रूप में है। इस समस्या का हल आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया जाना चाहिए । पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहये कि वे पूर्णतया भारतीय नागरिक हैं और हम उनकी दुख और सुख दोनों में सहायता करेंगे। पूर्वी पाकिस्तान से प्रति दिन हजारों की संख्या में लोग भारत आ रहे हैं जो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते हैं। ईसाई लोग भी पाकिस्तान वापस जाने के लिए कतई तैयार नहीं हैं चाहे उन्हें वहां सुरक्षा का ही आश्वासन क्यों न दिया जाये। एक करोड़ लोग जिन्हें भारत आना था अभी पाकिस्तान में बन्दी के रूप में रखे गये हैं। उनकी जान खतरे में है। राष्ट्रपति अयूब द्वारा पिछले दिनों दिये गये वक्तव्य से, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह आसाम, त्रिपुरा से निकाले गये मुसलमानों का बदला पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ लेना चाहते हैं, यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका रवैया भारत के प्रति घृणापूर्ण है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अधिक से अधिक अत्याचार किये जा रहे हैं। अतः हमें स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और विस्थापितों के लिए यथाशीघ्र आवास व्यवस्था करनी चाहिए । यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया है और राज्य सरकारें इस कार्य के लिए यथासंभव मदद कर रही हैं ।

यह सराहनीय बात है कि दण्डकारण्य में बसाये जाने वाले शरणार्थियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। शरणार्थियों को हर प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं।

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र के आदिवासी बसाये जाने वाले शरणार्थियों के साथ आत्मीयता का व्यवहार कर रहे हैं और उनकी हर सहायता करने के लिये तैयार हैं। कहीं कहीं पर

ऐसा पाया गया है कि शरणार्थियों को बसाने के परिणामस्वरूप इन आदिवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शरणार्थियों को बसाने के काम से आदिवासियों के रहन सहन के तरीकों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये।

दण्डकारण्य में सिंचाई के साधनों की कमी है। अतः वहां कुएं खोद कर तथा अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिएं जिससे शरणार्थी कृषक अच्छा उत्पादन कर सकें। कृषि के साथ साथ वहां पर आर्थिक जीवन के विकास के लिए कुटीर तथा लघु उद्योग स्थापित किये जाने चाहिएं।

दण्डकारण्य में शरणार्थियों को बसाने से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। किन्तु अभी तक वहां के लिए रेलों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका सम्बन्ध देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए इस क्षेत्र के लिए रेलवे व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : सभापति महोदय, . . .

सभापति महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं।

इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार, ६ अप्रैल, १९६४/१७ चैत्र, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April, 6, 1964/Chaitra 17, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—449 (ai) LS—22-6-64—600